

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  मुकदमा संख्या :- २८६/२०२२  संतोष कंवर बनाम राजस्थान सरकार  प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १३६ एल.आर. एकट</p>	<p>नम्बर व तारीख  अहकाम जो इस  हुक्म की तामील  में जारी हुए</p>
<p>२३.१२.२२</p>	<p>तहसीलदार झुन्झुनू से प्रार्थना का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम जयपहाड़ी के खाता संख्या १४ में प्रार्थी का नाम संतोष कंवर पुत्री भरथसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के जनआधार कार्ड में उनका नाम संतोष कंवर पुत्री भरथसिंह है। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह त्रुटि लिपिकीय है, जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः संलग्न रिकार्ड एवं तहसीलदार झुन्झुनू की अभिशंषा के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १३६ एल आर एकट न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खाता शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक २३.१२.२२ को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
**उप सुभाष आशिकर्सी**  
**झुन्झुनू (राज.)**